न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र पत्रावली सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
37/2023	19.07.2023	22.04.2024

उनवान

1. ताराचन्द पुत्र टिन्टुराम राम जाति खटीक निवासी गोविन्दगढ हाल गोपालपुरी,सांगानेर जयपुर।
2. प्रवीण कुमार पुत्र शेरसिंह जाति बावरिया निवासी ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़।

:–प्रार्थीगण।

बनाम

1. तहसीलदार महोदय नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–वहरोड़।

:–अप्रार्थी।

दावा अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिती:–

1. श्री हरप्रति यादव अधिवक्ता– प्रार्थीगण।

–::निर्णय::– दिनांक 22.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी आ.ख.नं0 216/0.07 , 217/0.05, 244/0.22, 245/0.25, 503/218/0.03, 505/243/0.0942 हैक्टेयर वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–वहरोड़,राजस्थान मे स्थित है जा कि हम प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की आराजी है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 15.06.2023 के मुताविक पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। उक्त आराजी की पैमाईश श्रीमान तहसीलदार नीमराना के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई जिसके मुताविक प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी की पिलर से उक्त पुख्ता पत्थरगढी करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार साहव से मिले तो राजस्व न्यायालय से आदेश लेकर आने पर मुताविक सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने को कहा ऐसी सूरत मे हम प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 15.06.2023 के मुताविक पत्थरगढी करवाने के आदेश तहसीलदार नीमराना पारित किया जाना न्यायसंगत है आदि आदि निवेदन करते हुए पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलवी अप्रार्थी की ओर से वार–वार अवसर उपरांत जवाव पैरोकार सरकार प्रस्तुत नही किये जाने की स्थिति मे जवाव का अवसर समाप्त किया गया ।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना, दिनांक 15.06.2023, नकल जमावंदी संवत 2076–79 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र ताराचन्द पुत्र टिन्टुराम पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र के वावत वकील प्रार्थी की वहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 एवं नकल जमावंदी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को सावित कर दिये जाने का निवेदन किया। मुताविक प्राप्त उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम से खातेदार भूमि रिकॉर्ड होना, मौके पर मुताविक नक्शा सीट ख.नं. 242 की पश्चिमी मेड पर खातेदारान द्वारा पक्की दिवार लगा रखी है जिसकों आधार मान कर सीमाज्ञान प्रारम्भ किया गया जिसके उत्तर पश्चिम विन्दू से 17 मीटर दूरी पश्चिम दिशा मे 66 मीटर पर ख.नं. 245 का उत्तर पश्चिम विन्दू कायम कर ख.नं. 242 के दक्षिण पश्चिम विन्दू से पश्चिम दिशा मे 19 मीटर दूरी पर ख.नं. 503/218 का दक्षिण–पश्चिम विन्दू कायम किया गया व इसी विन्दू से पश्चिम दिशा मे 53 मीटर पर ख.नं. 216 का उत्तर पश्चिम विन्दू कायम किया। ख.नं. 216, 217, 503/218 के उत्तर दिशा मे 244, 245,505/243 के मध्य ख.नं. 108 किस्म गै0मु0 रास्ता है जो ख.नं. 216 के दक्षिण पश्चिम विन्दू से 28 मीटर उत्तर दिशा मे 06 चौडाई व ख. नं. 503/218 दक्षिण पूर्व विन्दू से उत्तर पूर्व दिशा मे 29 मीटर के वाद 6 मीटर चौडाई रास्ते

को छोडकर उपरोक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान के निशानात प्रार्थीगण व मौजूद मौतबिरान के सामने मौका रिपोर्ट (सीमाज्ञान) तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गयें का अंकन है एवं मुताबिक प्रस्तुत शपथ पत्र ताराचन्द के प्रार्थीगण द्वारा कराये जाने पत्थरगढी पेश होकर सामिल पत्रावली है अभिकथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन रहा।

वकील प्रार्थी की ध्यान पूर्वक बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे मुताबिक मौका रिपोर्ट (सीमाज्ञान) दिनांक 15.06.2023 प्रार्थीगण के आराजी आ.ख.नं0 216/0.07 , 217/0.05, 244/0.22, 245/0.25, 503/218/0.03, 505/243/0.0942 हैक्टेयर वाके ग्राम ईश्वरीसिंहपुरा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड़,राजस्थान के बावत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2023 के तहसीलदार,नीमराना को पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार नीमराना को उक्त निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

22.04.2024

(पंकज बडगुजर)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)